

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

3546

/क०, पटना, दिनांक 11/8/

2016

पत्र संख्या-3/क०. बजट-विविध-18/2016-

प्रेषक,

AIL/FAX

रामजी सिंह  
सरकार के विशेष सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, कृषि / उद्यान / भूमि संरक्षण / पी०पी०एम०बिहार, पटना / अपर निदेशक, (शष्प) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्प) / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / संयुक्त निदेशक (शष्प) - सह-नियंत्रक, माप एवं तौल / संयुक्त निदेशक, (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्प) पाट पूर्णियाँ / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्प) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज विश्लेषण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज तेलहन, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) सूचना, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक कृषि अभियंत्रण / सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट / बायोगैस बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (शष्प) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी मुजफ्फरपुर-सह-प्रचार्य / सभी सहायक निदेशक (शष्प) बीज विश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्प) शिक्षा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मई, 2016 तक हुए व्यय का सत्यापन महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

महालेखाकार बिहार, पटना का पत्रांक:- ए० ए० / व्यय प्रतिवेदन / 2015-16 / 161 दि०- 05.07.2016 एवं सत्यापन कोषांग का पत्रांक:- 627 दिनांक-14.07.2016।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह मई 2016 तक प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा का सत्यापन कराया जाना है। प्रत्येक तीन माह पर लेखा का सत्यापन कराया जाना बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के तहत आवश्यक है। इसके लिए अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सत्यापन दल को महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करते हुए सत्यापन की कार्रवाई दिनांक-20.08.2016 तक पूरी कर लेना सुनिश्चित किया जाए।

अतएव महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से विभागीय व्यय के आँकड़ों का सत्यापन कराकर इसकी प्रति सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-प्रभारी पदाधिकारी, "बजट", कृषि विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

  
(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

/क०, पटना, दिनांक 11/8/

2016


ज्ञापांक

3546

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सत्यापन दल को अपेक्षित सहयोग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी को देने की कृपा की जाय।

2. वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. ✓ उप निदेशक (शष्प) सूचना / आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव